



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/GBN/11960
/2021-2022

पत्रावली संख्या: 55250-M दिनांक: 2011-2012

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि पारस एजुकेशनल सोसाइटी, ग्राम मिलक लच्छी, नियर बस स्टैंड, गेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर, गौतम बुद्ध नगर, 201306 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 110 दिनांक- 30/04/2011 को दिनांक-30/04/2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1400 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By
(ARVIND KUMAR SINGH)
5BAB8725D0F998628ED3E67B9679BBD11EE91463

Date: 30/11/2021 3:49:47 PM, Location: Meerut.

जारी करने का दिनांक-30/11/2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,

उत्तर प्रदेश।



MANAGER
Paras Public School
Tech zone 7, Milak Lachhi
Greater Noida West (U.P.)

स्मृति- पत्र

- 1- संस्था का नाम : पारस एजुकेशनल सोसाइटी।
- 2- संस्था का पूरा पता : ग्राम मिलक लच्छी, नियर बस स्टैण्ड, ग्रेटर नोएडा, जिला- गौतमबुद्धनगर।
- 3- संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश होगा।
- 4- संस्था के उद्देश्य : निम्नलिखित होंगे :-

1. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राइमरी स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय, कालेज एवं शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

2. निर्धन व अनाथ बालक/ बालिकाओं के सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे अन्य हस्तशिल्प शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर संचालन करना एवं उनको आत्म निर्भर बनाना।

3. संस्था में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति-जनजाति, विकलांगों आदि के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना।

4. आप्रतकालीन परिस्थितियों जैसे भुकम्प, अग्निकांड, बाढ़, महामारी व अन्य प्राकृतिक आपदाओं में पीड़ितों को राहत सामग्री आदि सुविधाये उपलब्ध कराना।

5. शिक्षा विकास हेतु प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु स्कूल कालेज, डिग्री कालेज का स्थापना करना तथा तकनीकी/गैरतकनीकी/व्यवसायिक/प्राविधिक संस्थानों की स्थापना कर संचालन करना।

6. समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सम्मेलनों, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं जैसे खेल-कूद, वाद-विवाद, चित्रकला, सामान्य ज्ञान आदि का आयोजन कराना।

7. चिकित्सा कैम्प, शिविरों का आयोजन कराकर परिवार कल्याण एवं पोलियो, संक्रामक रोग के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना।

8. शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास के लिए उचित शैक्षिक वातावरण तैयार कर शिक्षा प्रदान करना।

9. बच्चों तथा युवकों/ युवतियों के लिए छात्रावास, पुस्तकालय की स्थापना करना।

10. मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित कर उनके मनोबल को बढ़ावा देना।

रामजी

योगेश

कमल

MANAGER
Paras Public School
Tech zone 7, Milak Lachhi
Greater Noida West



सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/अध्यक्ष
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
सोसाइटी तथा चिट्स, ग्रेटर

03-11



5- प्रबन्धकारिणी समिति :-

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पिता/पति का नाम, पता, पद एवं व्यवसाय जिनको नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है।

क्र० सं०	नाम व पिता/ पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री योगराज सिंह नागर पुत्र श्री ब्रह्म सिंह	ग्राम मिलक लच्छी, पो० वैदपुरा, जिला- गौतमबुद्धनगर।	अध्यक्ष	अध्यापन
2.	श्री धर्म सिंह पुत्र श्री ब्रह्म सिंह	ग्राम मिलक लच्छी, पो० वैदपुरा, जिला- गौतमबुद्धनगर।	उपाध्यक्ष	सर्विस
3.	श्री ब्रह्म सिंह पुत्र श्री शोभन सिंह	ग्राम मिलक लच्छी, पो० वैदपुरा, जिला- गौतमबुद्धनगर।	प्रबन्धक	व्यापार
4.	श्री अमित कुमार पुत्र श्री ब्रह्म सिंह	ग्राम मिलक लच्छी, पो० वैदपुरा, जिला- गौतमबुद्धनगर।	उपप्रबन्धक	व्यापार
5.	श्री रामवीर सिंह पुत्र श्री ब्रह्म सिंह	ग्राम मिलक लच्छी, पो० वैदपुरा, जिला- गौतमबुद्धनगर।	कोषाध्यक्ष	सर्विस
6.	श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अनूप सिंह	ग्राम मिलक लच्छी, पो० वैदपुरा, जिला- गौतमबुद्धनगर।	सदस्य	सर्विस
7.	श्रीमती संगीता तिवारी पत्नी श्री महेश चन्द तिवारी	942, विवेकानन्द नगर, गाजियाबाद।	सदस्य	व्यापार

6- हम निम्न हस्ताक्षरों घोषित करते हैं कि इस स्मृति-पत्र व संलग्न नियमावली के अनुसार सो० रजि० ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।

दिनांक-

15/4/11

-: हस्ताक्षर :-

प्रस्तावित

सत्य प्रतिलिपि

रामवीर

योगराज

Daram Singh

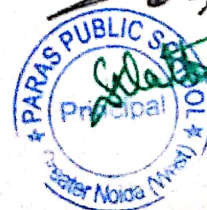
Amit

Virendra

अनूप

MANAGER
Paras Public School
Tech zone 7, Milak Lachli
Greater Noida West (U.P.)

प्रधान सहायक/अनुपस्थित
कार्यालय लिपि सजिस्टर
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स, गैरठ।



- 1- संस्था का नाम : पारस एजुकेशनल सोसाइटी।
- 2- संस्था का पूरा पता : ग्राम मिलक लच्छी, नियर बस स्टैण्ड, ग्रेटर नोएडा, जिला- गौतमबुद्धनगर।
- 3- संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश होगा।
- 4- संस्था के उद्देश्य : स्मृति-पत्र के अनुसार होंगे।
- 5- संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :-

क- सदस्यता



जो सज्जन 18 वर्ष से अधिक आयु का हो, नैतिक आचरण वाला हो, दिवालिया न हो, पागल न हो, सर्वोदय विचार वाला हो, संस्था के उद्देश्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता हो, संस्था का सदस्य बन सकता है।

ख- सदस्यों के वर्ग :-

अ- आजीवन सदस्य :-



जो सज्जन क्रमांक 5 (क) के अनुसार योग्यता रखते हुए उसने संस्था को एक मुश्त 2100 /- रु0 नकद या इससे अधिक सम्पत्ति दान स्वरूप देगा, आजीवन सदस्य कहलायेगा।

Amir
MANAGER
 Parads Public School
 Tech zone 7, Milak Lachhii
 Greater Noida West (U.P.)

ब- सामान्य सदस्य :-

जो सज्जन क्रमांक 5 (क) के अनुसार योग्यता रखते हुए उसने संस्था को एक मुश्त 151/-रु0 नकद वार्षिक शुल्क या इससे अधिक सम्पत्ति दान स्वरूप देगा, सामान्य सदस्य कहलायेगा।

अमिर

Amir

शशि

सत्य प्रसिद्धि

प्रधान सहायक / अध्यक्ष
 कार्यालय शिक्षा विभाग
 पारस सोसाइटीज तथा शिक्षा संस्थान, ग्रेटर नोएडा

Amir
 03-11-15



6- सदस्यता की समाप्ति :-

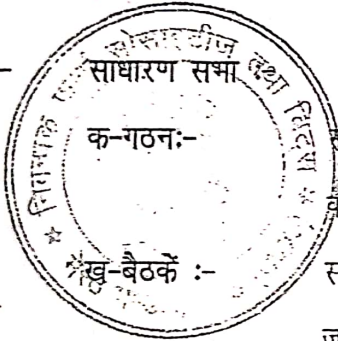
- 1- सदस्य की मृत्यु होने पर ।
- 2- सदस्य द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने पर ।
- 3- संस्था की सदस्यता शुल्क अदा न करने पर ।
- 4- सदस्य को दिवालिया अथवा पागल घोषित होने पर ।
- 5- संस्था के विरुद्ध कार्यों में संलिप्त पाये जाने पर ।
- 6- संस्था की तीन मीटिंग में बिना किसी कारण लगातार अनुपस्थिति रहने पर ।

7- संस्था के अंग :-

क- साधारण सभा ।

ख- प्रबन्धकारिणी समिति ।

8-



क-गठन:-

संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर बनाया गया समूह साधारण सभा कहलायेगी ।

ख-बैठकें :-

साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार एवं विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है ।

ग-सूचना :-

सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी, सूचना डाक या स्पेशल मैसेजर द्वारा दी जायगी ।

घ-कोरम :-

साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल संख्या का दो तिहाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक के लिए कोरम की पाबन्दी न होगी, यदि उन्हीं विषयों पर विचार होता हो ।

ड- विशेष वार्षिक अधिवेशन :-

संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार हुआ करेगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

MANAGER
Parus Public School
Tech zone 7, Milak Lachhi
Greater Noida West (U.P.)



20/02/20

Amit

सत्य प्रतिलिपि

21/02/20

प्रधान सहायक/अन्य
कार्यालय दिवसीय सहायक
साधारण सभा सचिव, नैरव।

22-2-20

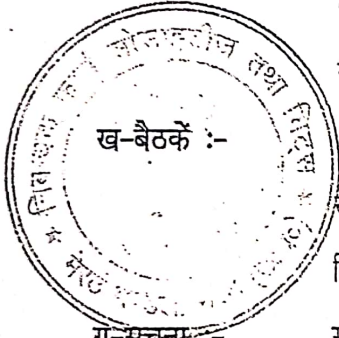
च-साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- 1- संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना ।
- 2- संस्था के आय व्यय की रिपोर्ट, बजट आदि को पास करना ।
- 3- संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन 2/3 बहुमत से करना ।
- 4- संस्था की नीति निर्धारित करना ।
- 5- संस्था के भ्रष्ट सदस्यों को निकालना ।

9- प्रबन्धकारिणी समिति :-

क-गठन :-

संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा अपने सदस्यों में से बहुमत द्वारा होगा। जिसमें अध्यक्ष- एक, उपाध्यक्ष- एक, प्रबन्धक- एक, उपप्रबन्धक- एक, कोषाध्यक्ष- एक एवं सदस्यगण- दो से पांच होंगे। जो आवश्यकता पड़ने पर घट बढ़ सकती है।



ख-बैठक :-

सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार एवं विशेष बैठक कभी भी अध्यक्ष के निर्देशन पर बुलाई जा सकती है।

ग-सूचना :-

सामान्य बैठक की सूचना 07 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी, सूचना डाक या स्पेशल मैसेंजर द्वारा दी जायेगी।

घ-कोरम :-

प्रबन्धकारिणी समिति का बैठक का कोरम तीन चौथाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक की पाबन्दी न होगी, यदि उन्ही विषयों पर विचार होता हो।

ड-रिक्त पद की पूर्ति :-

प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद होने पर उसकी पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति स्वयं साधारण सभा सदस्यों में से बहुमत द्वारा शेष कार्यकाल की अवधि के लिए कर लेगी।

च-कार्यकाल
MANAGER
Paras Public School
Tech zone 7, Milak Lachar
Greater Noida West (U.P.)



Ami

रामेश्वर

सत्य प्रतिनिधि

प्रधान सहायक / सहायक
कार्यालय शिक्षा, ग्रेटर नोएडा
फार्म सांसाधन तथा शिक्षा, मेरठ

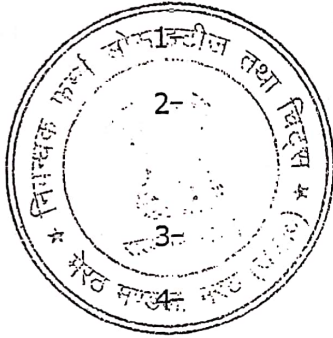
22-8-15

छ:-प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- 1- संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन करना ।
- 2- संस्था का प्रबन्ध संचालन हेतु कर्मचारियों, अधिकारियों की नियुक्ति करना।
- 3- संस्था की वार्षिक रिपोर्ट, बजट आदि को तैयार कराना।
- 4- प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद की पूर्ति करना ।
- 5- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान, चन्दा, ऋण, अनुदान, भूमि, भवन, चल अचल सम्पत्ति विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करना ।

10- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

अध्यक्ष :-



- 2- संस्था की सभी प्रकार की बैठकों, सभाओं की अध्यक्षता करना ।
- 3- सभाओं, कार्यक्रमों आदि के लिए दिनांक, समय का निर्धारण कर सूचना जारी करना ।
- 4- समान मत होने पर अपना निर्णायक मत देना।
- 5- संस्था के हित में कार्य करना।

उपाध्यक्ष :-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कर्तव्य उपाध्यक्ष को निहित होंगे।

प्रबन्धक :-

- 1- संस्था के अभिलेखों का रख रखाव करना व मीटिंग की कार्यवाही को रजिस्टर में दर्ज कराना, अभिलेख पूर्ण कराना।
- 2- संस्था के अन्तर्गत संचालित स्कूल यूनिट आदि के संचालन हेतु समस्त प्रकार की संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
- 3- संस्था के समस्त बाउचरों, अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना एवं उनको आवश्यकता पड़ने पर प्रमाणित भी करना ।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/अध्यक्ष
कार्यालय किटी सभागार
फर्म सोसाइटीज तथा चिटख, मेरठ।

[Signature]
03-11-11
Amit

राजेश

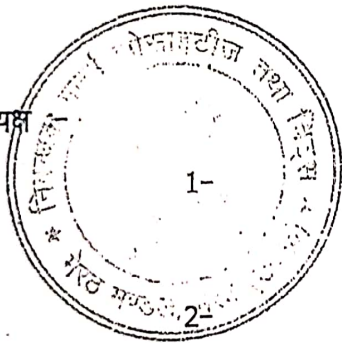
[Signature]
MANAGER
Paras Public School
Tech zone 7, Milak Lachhi
Greater Noida West (U.P.)



- 4- संस्था के द्वारा संचालित यूनिट, संस्थान, स्कूल आदि के निम्न कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतनवृद्धि, पदोन्नति, डिमोशन आदि सम्बन्धी कार्यवाही करना।
- 5- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अध्यक्ष के साथ मिलकर दान-अनुदान, चन्दा, ऋण, चल अचल सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों, विभागों, बैंक आदि से सम्पर्क कर प्राप्त करना। संस्था के हित में कार्य करना।
- 6- संस्था के सदस्य/ कर्मचारी के त्याग-पत्र को अध्यक्ष की स्वीकृत के बाद संस्तुति करना।

उपप्रबन्धक :-

कोषाध्यक्ष :-



प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कर्तव्य उपप्रबन्धक को निहित होंगे।

संस्था के कैश से सम्बन्धित सभी अभिलेख तैयार करना, उनमें धनराशि का इन्द्राज करना।

संस्था के आय व्यय की रिपोर्ट, बजट तैयार कराकर बैठक में प्रस्तावित करना।

- 3- अध्यक्ष तथा प्रबन्धक के द्वारा सौंपे गये कार्य करना।

11- नियमों-विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-

संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन प्रक्रिया प्रबन्धसमिति के अनुमोदन होने के दस दिन बाद साधारण सभा की बैठक में दो तिहाई बहुमत पूर्ण होने पर संशोधन/ परिवर्तन मान्य होगा।

- 12- संस्था का कोष :- संस्था का कोष संस्था के नाम से किसी भी बैंक अथवा डाकघर में रखा जायेगा जिसका संचालन संस्था के प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / अध्यक्ष
कार्यालय शिक्षा विभाग
फर्न्स सोसाइटीज तथा विद्या, मेरठ।

Amit



03-P-15

MANAGER
Paras Public School
Tech zone 7, Milak Lachhi
Greater Noida West (U.P.)



13- आय व्यय लेखा परीक्षण :-

संस्था के आय व्यय का वार्षिक आडिट प्रबन्धसमिति द्वारा नियुक्त आडिटर अथवा सी0ए0 द्वारा कराया जायेगा, जो कि पहली अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा।

14- कानूनी कार्यवाही :-

संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही प्रबन्धक द्वारा की जायेगी, जो कि संस्था के पंजीकृत कार्यालय के क्षेत्रान्तर्गत की जायेगी।

15- अभिलेख :-

सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, एजेण्डा, लेजर, कैश बुक रसीद बुक आदि जो भी आवश्यक हो, रखे जायेंगे।

16- विघटन :-

संस्था की विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक :-

सत्यप्रतिलिपि।

प्रस्तावित

सत्य प्रतिलिपि

21/08/15

रमेश

Amit

प्रधान सहायक/अध्यक्ष
कार्यालय डिप्टी सचिव
कम्प्लेक्स सोसाइटीज तथा चिटर, मेरठ।

03-8-15



MANAGER
Parash Public School
Tech zone 7, Milak Lachhi
Greater Noida West (U.P.)